

प्रेस नोट
जनपद सोनभद्र
दिनांक-21.11.2022

क्राइम ब्रांच एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अन्तर्प्रान्तीय शराब तस्कर गिरफ्तार व 01 अदद ट्रक कीमती 15 लाख में 900 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कीमती 70 लाख रुपये बरामद-

विगत कई दिनों से आसूचना प्राप्त हो रही थी कि सीमावर्ती प्रान्त बिहार में शराब बन्दी के कारण अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब तस्करी बिहार प्रान्त में की जा रही है। इस सूचना पर अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा अपराध शाखा को विशिष्ट निर्देश दिये गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में स्वाट/एसओजी/सर्विलांस टीम तथा थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गयी। इस टीम द्वारा अथक लगन व परिश्रम से अपना आसूचना संजाल तैयार किया गया तथा आज दिनांक- 21.11.2022 को इस टीम को सूचना मिली कि तस्करों द्वारा एक ट्रक एचआर 46 ओ 8723 (फर्जी नम्बर) से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बिहार के लिए ले आये है जिसे वह ग्राहक को दिखा कर बेचने वाले है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उरमौरा गोरारी रोड़ पर एक अदद ट्रक 12 चक्का को मय चालक तथा खलासी व भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब (सेल इन अरुणाचल प्रदेश) के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु०अ०सं०-877 /2022 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण निम्नवत है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को हरियाणा से बिहार में बेचने के लिए लाये थे। बिहार में शराब बंदी के कारण अच्छी कीमत पर इसे बेचते है। इससे पूर्व भी कई खेप अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा/ पंजाब से बिहार ले जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मुहम्मद शकील पुत्र मुहम्मद इकबाल निवासी बिहारीगंज, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर उम्र लगभग 35 वर्ष।
2. मुहम्मद हशीन पुत्र मुजाबिर अली निवासी बिहारीगंज, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर उम्र लगभग 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 900 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (रायल प्लेयर प्रिमियम लगभग 8100 लीटर) सेल इन अरुणाचल प्रदेश कीमती 70 लाख रुपये बरामद।
2. 01 अदद 12 चक्का ट्रक (फर्जी नं० प्लेट- HR 46 O 8723) कीमती 15 लाख रुपये।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम-

1. सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक श्री अमित सिंह, जनपद सोनभद्र।
2. एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, जनपद सोनभद्र।
3. प्रभारी निरीक्षक श्री बालमुकुन्द मिश्र, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
4. उ०नि० शाहिद यादव, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
5. हे०का० रवीन्द्र नाथ मिश्र, का० रमेश गोड, का० परमात्मा सिंह यादव थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
6. हे०का० जगदीश मौर्या, का० सतीश कुमार सिंह, का० रितेश सिंह पटेल, का० अजीत कुमार यादव, का० प्रेम प्रकाश चौरसिया का० प्रकाश सिंह, का० अमित सिंह, का० सौरभ राय सर्विलांस एवं एसओजी टीम, जनपद सोनभद्र।